लय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

26/17 तारीख रजू 3.4.17

उनवान – शंकर लाल बनाम हरिलाल वगै० वगैरह

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188

की ओर से रामभरोसी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व जमाबन्दी का नकल किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर- नीगणो को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली 13.4.17 को पेश हो।

1128-32
3.4.17

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

वकील उप० / प्रतिवादीगण 1,2,3 की ओर से श्री ब्रज कुमार शर्मा Adv. ने वकालतनामा तथा प्रतिवादी नं. 4,5 की ओर से श्री राधारमण शर्मा Adv. वकालतनामा पेश किये। प्रतिवादीगण 4 के वकील ने कहा कि सही नाम ब्रजवल्लभ की बजाय ब्रजलाल लिख दिया है। लिपिकीय त्रुटि बताते हुए प्रार्थना की कि ब्रजलाल के स्थान पर ब्रजवल्लभ दर्ज कर दिया जावे। इस पर वकील के स्थान पर ब्रजवल्लभ दर्ज करने के आदेश दिये व वास्ते जवाब पेश करने दिनांक 28.4.17 तय हो।

वकुलाय उप० / वास्ते जवाब पेश करने न्याय शिविर कैम्प गोपुर में दिनांक 11.5.17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभ

दिनांक	फर्द अहकाम
4.10.19	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादीगण अपने वाद पत्र को विड्रो करना चाहते हैं अनुमति प्रदान करने फरमावें प्रतिवादी नं. 1,2,3 एवं प्रतिवादी नं. 4,5 की ओर से भी काऊन्टर क्लेम विड्रो करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किये है। वकील उभय पक्ष को सुना गया। यह दावा मय काऊन्टर क्लेम वकील उभयपक्षकारान को विड्रो करने अनुमति प्रदान की जाती है। मूल वाद इसी स्तर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलत शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner